"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2009—भाद्र 20, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से. (1978), कृषि उत्पादन आयुक्त, पदेन अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को केवल अपर मुख्य सचिव वन विभाग के कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री डी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. (1982), प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा विकास आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक ई-1-2/2009/एक/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-07-2009 द्वारा श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से. (2000), उपायुक्त (विकास), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर एवं उपायुक्त (राजस्व) को अपर कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से. (1988) आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से. (1993) सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एस. के.-1994) सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

4. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995) संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, तकनीकी शिक्षा के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री द्विवेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत संचालक, तकनीकी शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री जुसूफ मिंज, भा. प्र. से. (1997) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. श्री एस. के. जायसवाल, भा. प्र. से. (2000) उप सचिव, नगरीय विकास, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री नवल सिंह मण्डावी, भा. प्र. से. (2000) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री मण्डावी, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

8. श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से. (2000) कलेक्टर, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, नगरीय विकास, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से. (2000) प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री सुधीर अग्रवाल (भा.व.से.) को विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.— श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से., सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 17-08-2009 से 29-08-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 16 एवं 30 अगस्त, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता पी. आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती संगीता पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संगीता पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती संगीता पी. के उक्त अवकाश अवधि में सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, अवर सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/54/2004/1/2.— डॉ. रोहित यादव, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को दिनांक 03-08-2009 से 17-08-2009 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 02-08-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. यादव आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. यादव के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. भारती दासन, भाप्रसे, आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू प्रभार सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 5736/1926/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 05 अप्रैल 2008 में प्रकाशित न्यायिक अधिकारियों के अस्थायी वरियता सूची के निम्नतर न्यायिक सेवा में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

सरल क्रमांक 86 के कॉलम नं. 1 में श्री "पंकज कुमार शर्मा" के स्थान पर श्री "पंकज शर्मा"

सरल क्रमांक 86 के कॉलम नं. 4 में जन्म दिनांक "17-07-1976" के स्थान पर दिनांक 17-07-1978" पढ़ा जावे.

सरल क्रमांक 120 के कॉलम नं. 3 में गृह जिला- "राजनांदगांव" के स्थान पर गृह जिला-"जशपुर" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 5735/1962/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रंजना दत्ता, अधिवक्ता, कोरबा, जिला कोरबा को नियमित न्यायालय कोरबा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 5769/1961/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री तेजप्रताप देव, अधिवक्ता, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः से तीन वर्ष की कालावधि हेतु उत्तर बस्तर कांकेर जिले के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2009

क्रमांक 5771/1961/21-ब/छ. ग./2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री तेजप्रताप देव, अधिवक्ता, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को आदेश जारी होने के दिनांक से पुन: तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जगदलपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :—

जगदलपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत —

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	दंतेवाड़ा से कोण्डागांव	गीदम, बारसूर, लोहण्डीगुड़ा, भानपुरी
2.	लोहण्डीगुड़ा से कोण्डागांव	भानपुरी
3.	आंजर से कोण्डागांव	तारागांव, लोहण्डीगुड़ा, मुण्डागांव, भानपुरी
4.	कोण्डागांव से बैलाडीला	लोहण्डीगुड़ा, बारसूर, गीदम, दन्तेवाड़ा
5.	नगरी से बैलाडीला	बोरई, माकड़ी, कोण्डागांव, लोहण्डीगुड़ा, बारसूर, गीदम, दन्तेवाड़ा
6.	नगरी से जगदलपुर	बोरई, माकड़ी, मोहलाई
7.	राजनांदगांव से बैलाडीला	दल्ली, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम, दन्तेवाड़ा
8.	अमरावती से जगदलपुर	छिनारी, करपावण्ड
9.	राजनांदगांव से बैलाडीला	दल्ली, कांकेर, कोण्डागांव, लोहण्डीगुड़ा, बारसूर, गीदम, बैलाडीला
10.	दल्लीराजहरा से नगरी	कांकेर, कोण्डागांव, माकड़ी, बोरई
11.	दल्लीराजहरा से नगरी	भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, माकड़ी, बोरई, अमरावती, चिपावण्ड
12.	माकड़ी से कोण्डागांव	अमरावती, चिपावण्ड
13.	मानपुर से जगदलपुर	भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोण्डागांव
14.	बांगाबाड़ी से धमतरी	सरोना, अमोड़ा, नरहरपुर
15.	नगरी से बैलाडीला	बोरई, केशकाल, कोण्डागांव, लोहण्डीगुड़ा, बारसूर, दंतेवाड़ा
16.	नगरी से दन्तेवाड़ा	बोरई, केशकाल, कोण्डागांव, लोहण्डीगुड़ा, बारसूर, गीदम
17.	देवीनवागांव से हाटकोंदल	कांकेर भानुप्रतापपुर, अमोडा
18.	अरौद से धमतरी	सुरही, मरकतरा, कुकरेल
19.	गमरी से कांकेर	कोपरा, बड़ेराजपुर, अड़ेगा, केशकाल
20.	बोरई से ओरछा	बासकोट, माकड़ी, फरसगांव, बड़ेडोंगर, छेरीबेड़ा, बेनूर, नारायणपुर
21.	बारसूर से बिंजाम	गीदम
22.	हाटकोंदल से कांकेर	भानुप्रतापपुर, कोरर

(1)	(2)	(3)
23.	अंतागढ़ से कांकेर	भानुप्रतापपुर, कोरर
24.	माकड़ी से छोटेडोंगर	राधना, फरसगांव, बड़ेडोंगर, छेरीबेड़ा, नारायणपुर
25.	नगरी से कांकेर	सिहावा, शामतरा, धनेसरा, मरकोटेला, सरंगपाल
26.	मैनपुर से कांकेर	सिहावा, नगरी, सोढुर, सांकरा, मुलियाबाहरा, दुधावा, सरोना, बेलर, कोटलभट्टी
27.	नरहरपुर से भानुप्रतापपुर	कुरना, कांकेर, कोरर
28.	अकलाडोंगरी से धमतरी	चारामा
29.	कोरमेल से कोण्डागांव	खड़पड़ी, हसलनार, मर्दापाल, बम्हनी
30.	हसलनार से लोहण्डीगुड़ा	पोहमार, खड़पड़ी, कोरमेल, रतेंगा, घोटिया, सोनारपाल, भानपुरी
31.	नरहरपुर से कांकेर	लखनपुरी, माकड़ी
32.	कांकेर से धमतरी	सरोना, धनेसरा, नरहरपुर, सुरही, कुकरेल
33.	जामगांव से कांकेर	आमापारा, सुरही, नरहरपुर, सरोना
34.	नगरी से चौकी	जामगांव, नरहरपुर, सरोना, कांकेर, माकड़ी, कोरर, भानुप्रतापपुर, सम्बलपुर, भर्रीटोला, मानपुर.
35.	साईमुण्डा से धमतरी	सरोना, मुड़पार, धनेसरा, नरहरपुर, कुकरेल
36.	बासकोट से नारायणपुर	बोरई, विश्रामपुरी, केशकाल, फरसगांव, कोण्डागांव, बेनुर
37.	कोण्डागांव से चित्रकूट	भानपुरी, मुण्डागांव, घोटिया, लोहण्डीगुड़ा
38.	केशकाल से कोण्डागांव	बोरई, बांसकोट, राधना, बालोंड, केशवाही
39.	केशकाल से कोण्डागांव	बोरई, बांसकोट, माकड़ी, शामपुर, चिलपुरी
40.	माकड़ी से कोण्डागांव	राधना, बालोंड, केरावाही
41.	कोण्डागांव से मारडूम	भानपुरी, मुण्डागांव, घोटिया, लोहण्डीगुड़ा
42.	घोटिया से मर्दापाल	रतेंगा, कोरमेल, पोहमार, मटवाल
43.	नगरनार से घोटिया	जगदलपुर, आसना, बस्तर, सोनारपाल, आमावाल, मुण्डागांव
44.	सुकमा से कोंटा	दोरनापाल
45.	पुसपाल से दंतेवाड़ा	सुकमा, नकुलनार
46.	आवापल्ली से तिमेड़	मुरकीनार, मोदकपाल, मद्देड, बीजापुर
47.	आवापल्ली से तारलागुड़ा	मुरकीनार, मोदकपाल, बीजापुर, मद्देड़, भोपालपटनम
48.	आवापल्ली से बारेगुड़ा	मुरकीनार, मोदकपाल, मद्देड़, भोपालपटनम
49.	ईलमिड़ी से बासागुड़ा	आवापल्ली
50.	बीजापुर से रायपुर	गीदम, जगदलपुर, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी
51.	जगदलपुर से ककनार	घोटिया, रतेंगा, कोरमेल
52.	जगदलपुर से ओरछा	मर्दापाल, कड़ेनार
53.	कुरुटोला से कांकेर	चारामा, हल्बा, उमरादाह
54.	कटेकल्याण से भैरमगढ़	गीदम, तुमनार
55.	नारायणपुर से बेल्हारी	अन्तागढ़, भानुप्रतापपुर, कोरर, चारामा, धमतरी
56.	अन्तागढ़ से धमतरी	केवटी, भानुप्रतापपुर, कोरर, चारामा, पुरूर
57.	कोण्डागांव से बारसूर	मर्दापाल, रतेंगा, लोहण्डीगुड़ा, मारडूम

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2009

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु

निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :—

बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत —

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	कोटमीकला से देवरीकला	करौदानार, बंदरचुआ, मुरमुर, जमडीखुर्द, करगीखुर्द, घठोली, कारीआम
2.	मरवाही से लोहारी	उसाड़, बरौर, मनेन्द्रगढ़
3.	पिपरखुटी से खोडरी	जोगीसार, बेलपान, कारीआम
4.	पिपरखुटी से खोंगसरा	बेलगहना
5.	पेण्ड्रारोड से पकरिया	अमरकंटक
6.	पेण्ड्रा से धनपुर	धोबर, तौली, पिपरिया, लालपुर, वैंकटनगर
7.	कोटमी से भाड़ी	पतगवां, झाबर, नवागांव, बसंतपुर
8.	अंबिकापुर से गाजर	करजी, खर्रा, कोपा, खजुरी, पप्पापुर
9.	सारंगढ़ से बेलाडुला	छिंद, सरसीवा
10.	भवरपुर से सरिया	केदवा, बोडसरा, सारंगढ़, बरमकेला
11.	सारंगढ़ से बरदुला	पचपेड़ी, उलखर
12.	तखतपुर से छिनभोग	पथरिया
13.	बिलासपुर से भवरपुर	मस्तुरी, पामगढ़, शिवरीनारायण, भटगांव, गेरसा
14.	दुल्लापुर से मुंगेली	कापादह, चिल्फी, खपरीलगरा, कोईलारी, छटन, बाघामुड़ा
15.	मरवाही से लोरमी	दानीकुण्डी, रुमगा, कोटमी, दुननिटया, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, पीपरखुटी, केंवची, लमनी, छपरवा, अचानकमार, शिवतराई, कोटा, करगी, पाली.
16.	मुंगेली से दुल्लापुर	फास्टरपुर, सेतगंगा, महका
17.	तखतपुर से बेमेतरा	जरहागांव, मुंगेली, टेमरी, नवागढ़
18.	तखतपुर से भाटापारा	पथरिया, पुटपुरा, मारो, नारायणपुर चौक
19.	दीपका से गढ़फलझण	कोरबा, चांपा, जांजगीर, सेमरा, शिवरीनारायण, भटगांव, भंवरपुर, बसना
20.	दीपका से भटगांव	कोरबा, चांपा, जांजगीर, सेमरा, शिवरीनारायण
21.	जरौधा से मनेन्द्रगढ़	सहडा, सेमरदर्री, सिंगारबहरा, दानीकुण्डी, मरवाही, बरौर, उसाड़, बेलझरिया, कासबहरा, कोड़ा, भौंता, लेदरी.
22.	कोड़ा से पेण्ड्रारोड	कासबहरा, उसाड़, बरौर, मरवाही, सिवरी, निमधा, धोबहर, तौली, मेंढुका
23.	जरौधा से मनेन्द्रगढ़	सकला, सेमरदर्री, सिंगारबहरा, दानीकुण्डी, मरवाही, बरौर, उसाड़, बेलझरिया, कांसबहीर, कोड़ा, भौंता, नारायणपुर, लेदरी.
24.	कोड़ा से पेण्ड्रारोड	कासबहरा, उसाड़, बरौर, मरवाही, सिवरी, निमधा, धोबहर, तौली, पिपरिया, बरवासन, मेंढुका.
25.	बिलासपुर से पिथौरा	पामगढ़, गिधौरी, बिलाईगढ़, सलिहा, बेलारी, बखाली, सांकरा
26.	बोहरडीह से बिलासपुर	भरारी, कोसा, व्यासनगर, मस्तुरी
27.	अकलतरा से शिवरीनारायण	तिलाई, जांजगीर, कुटरा, कुथुर, पामगढ़
28.	चन्द्रपुर से कटघोरा	डभरा, मालखरौदा, भोथिया, बाराद्वार, झरना, नगरदा, जर्वे, उमरेली, चाम्पा, कोरबा, दर्री.
29.	पत्थलगांव से बिलासपुर	धर्मजयगढ़, छाल, खरसिया, सक्ति, नगरदा, उमरेली, जांजगीर, जर्वे, बलौदा, सीपत
30.	जैजैपुर से बलौदा	भोथिया, सिल्ली, सिंघनसरा, सक्ति, नगरदा, चाम्पा, जर्वे
31.	बिर्रा से कोरबा	तालदेवरी, जैजैपुर, भोथिया, डोंगिया, सक्ति, डडई, सुपातराई, भैसमा
32.	मोहदीकला से जैजैपुर	सक्ति, नगरदा, उमरेली, चाम्पा, अफरीद, चोरिया, सरवानी
33.	हसौद से बाल्को	जैजैपुर, ठठारी, बाराद्वार, नगरदा, तुमान, भैसमा, कोरबा
34.	रजगामार से बरमकेला	कोरबा, उरगा, चाम्पा, नगरदा, दुरपा, बाराद्वार, भोथिया, मालखरौदा, डभरा, चन्द्रपुर
35.	हसौद से राजगामार	जैजैपुर, भोथिया, सिल्ली, सक्ति, नगरदा, चाम्पा, कोरबा
36.	रायगढ़ से किलकिला	पुंजीपतरा, तमनार, मिलुपारा, तोलगे, लैलुंगा

(1)	(2)	(3)
37.	भुइगांव से चाम्पा	पामगढ़, जांजगीर
38.	बीरीम्बडेगा से रायगढ़	काडरी, कुकरगांव, खेड़ाआम, लैलुंगा, तोलगे, मिलुपारा, तमनार
39.	कटघोरा से जशपुर	छूरी, जमनीपाली, कोरबा, बाल्को, पसरखेत, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लुडेग, बागबहरा, पण्डरीपानी, तपकरा, कुनकुरी.
40.	बाल्को से कचंदा	कोरबा, बरपाली, सोहगपुर, पोड़ी, बाराद्वार, आजापाली, सिल्ली, भोतिया.

रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत—

(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा से बिलासपुर	बिरकोना, पिपरिया, मरका, नावराबंद, उरतला, कठौतिया, नवागढ़, नारायणपुर
2.	भानसोज से तिल्दा	नारा, खमरिया, टेकरी, खौली, कठिया, असौदा, बंगोली, मुर्रा, धनसुली, रायखेड़ा, चिचोली.
3.	राजनांदगांव से डोड़के	डोंगरगांव, चौकी, बिहरीकला
4.	राजनांदगांव से कुही	डोंगरगांव, कुमरदा, गैंदाटोला
5.	मोहला से सोमाटोला	कटेंगाटोला, डुमाटोला
6.	मोहला से चौकी	विजयपुर, डुमाटोला, सोमाटोला, दनगढ़
7.	खैरागढ़ से गातापार	लछना, डोंगरगढ़
8.	गुरूर से चारामा	बड़बुम, मरकाटोला
9.	गुरूर से बड़बुम	कसावाही, दमकसा
10.	गुरुर से चारामा	खड़गी, जगतरा
11.	बालोद से कांकेर	बेलोदा, पुरी
12.	बालोद से चारामा	अंगलतराई, जगकोहला, कसावाही
13.	दुर्ग से डोंगरगांव	मोहंदी, अर्जुन्दा, सुरेगांव, झिटिया, किसना, खुरसुली, नहांदा, सम्बलपुर, पिनकापार
14.	दुर्ग से डोंगरगांव	मोहंदी, भरदा, बुढ़हानपुर, रानीतराई, किसना, खुरसुली, नहांदा, सम्बलपुर, पिनकापार
15.	डौंडी से दुर्गकोंदल	कच्चेनांका, हारकोंदल, दमकसा, आमागढ़, हानपतरी
16.	बेमेतरा से चारभांठा	बीजा, साजा, ठेकला, बेलगांव, बेंदरची
17.	मोहला से डौंडी	गोटाटोला, सरोली, खड़गांव, दल्लीराजहरा
18.	गुरूर से कांकेर	बड़बुम, आमाटोला, पुरी, चारामा
19.	गुरूर से बड़बुम	मंगलतराई, बेलोदा, बालोद
20.	मटिया से पसौद	सिर्राभांठा, हल्दी
21.	दल्लीराजहरा से माकड़ी	भानुप्रतापपुर, कोरर, कांकेर, केशकाल, विश्रामपुरी, मालगांव, बारकोट, गगरी
22.	दल्लीराजहरा से दंतेवाड़ा	भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़, नारायणपुर, कोंडागांव, गीदम
23.	दुर्ग से देवरी	अंजोरा, बिरेझर, झोला, तिरगा, खुर्सीपार, मोहंदी, माहुद, बिजेभांठा, केंवट, नवागांव
24.	दुर्ग से देवरी	अण्डा, निकुम, मोंहदी, चीरचार, भरदा, सिब्दी, बुढ़हानपुर, फरदफोड़, रानीतराई
25.	बालोद से गुरूर	झलमला, बेलमाड़, नवागांव, निपानी, तमोरा, धनेली
26.	डोंगरगांव से बालोद	पिनकापार, संबलपुर, नाहंदा, सुरसुली, किसना, झिटिया, सुरेगांव, अर्जुन्दा, कोटगांव, चौरेल, जगनाथपुर.
27.	डोंगरगांव से धमतरी	पिनकापार, संबलपुर, नाहंदा, सुरसुली, किसना, झिटिया, सुरेगांव, धीना, डुन्डेरा, नवागांव, धनगांव, सिकोसा, भठागांव, बेलोदी, हल्दी.
28.	डोंगरगांव से दुर्ग	पिनकापार, संबलपुर, नाहंदा, सुरसुली, किसना, रानीतराई, बुढ़ानपुर, सिब्दी, भरदा, मोंहदा, निकुम, अण्डा.
29.	डोंगरगांव से बालोद	पिनकापार, देवरी, सुरेगांव, अर्जुन्दा, झींका, धनगांव, चौरेल, जगनाथपुर
30.	डोंगरगांव से बालोद	पिनकापार, नाहंदा, देवरी, सुरेगांव, अर्जुन्दा, धनगांव, चौरेल, जगनाथपुर
31.	हाटकर्रा से बालोद	कोरर, किसपुरी, पुरी, आमाडुला, परकालकसा, सिंघोला, मंगलतराई, बेलौदा, हर्राठेमा, झलमला.

(1)	(2)	(3)
32.	बलौदाबाजार से पचपेड़ी	लवन, जोंधरा
33.	बलौदाबाजार से ससहा	लवन, जोंधरा
34.	कवर्धा से बलौदाबाजार	बेमेतरा, सिमगा, नांदघाट, भाठापारा
35.	कवर्धा से पेण्ड्रारोड	पोड़ी, पाण्डातराई, पण्डरिया, खाम्ही, लोरमी, कोटा
36.	मारागांव से धमतरी	मोहारा, मड़वापथरा, खडमा, सिंगपुर, सोनटरी, पालवी, केरेगांव
37.	धमतरी से नगरी	कुकरेल, कुर्रीडीह, बिरझुकी, सिंगपुर, दुगली
38.	धमतरी से मगरलोड	कुकरेल, कुर्रीडीह, बिरझुकी, सिंगपुर, मेघा
39.	धमतरी से बेलर	कुकरेल, दुगली, नगरी, सांकरा, मलहारी, सिरसिदा, रानीगांव, घटुला
40.	धमतरी से देवभोग	कुकरेल, केरेगांव, नगरी, सोंढूर, मैनपुर
41.	रायपुर से देवभोग	धमतरी, नगरी, मैनपुर
42.	धमतरी से केशकाल	केरेगांव, नगरी, बोरई
43.	धमतरी से चारामा	केरेगांव, नगरी, नरहरपुर, झेपरा
44.	धमतरी से धरमगढ़	नगरी, मैनपुर, देवभोग
45.	मोहभट्ठा से भाठापारा	हथबंद, रोहरा
46.	भोरमदेव से राजिम	कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, अभनपुर
47.	रामाटोला से डोंगरगढ़	बिच्छी टोला, ठाकुरटोला
48.	दुर्ग से उदयपुर	नगपुरा, लिटिया, पोटवानी
49.	दुर्ग से साल्हेकसा	नगपुरा, जालबांधा, खैरागढ़, छुईखदान, उदयपुर
50.	दुर्ग से कवर्धा	नगपुरा, जालाबांधा, खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई
51.	मुंगेली से रायपुर	गाड़ामोड़, नवागढ़, बेमेतरा, सरदा, भिंभौरी, हरदी, उरला
52.	कठौतिया से रायपुर	प्रतापपुर, नवागढ़, बेमेतरा, सरदा, भिंभौरी, हरदी, उरला
53.	चंदनु से बेमेतरा	मरका, खाम्ही, अंधियार, खोरझाल, चारभाठा
54.	लोहारा से रायपुर	विरेन्द्रनगर रणवीरपुर, चारभाठा, थान खम्हरिया, बेमेतरा, सिमगा, धरसींवा
55.	राजनांदगांव से दनगढ़	सिंघोला, खुर्सीपार, खुज्जी, डोंगरगांव, सीताकसा, मरकाकसा
56.	डोंगरगांव से दल्लीराजहरा	खुज्जी, सत्तीकसा, मंगचुवा, लोहारा, कुसुमकसा
57.	राजनांदगांव से बैहर	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई, साल्हेवारा, साल्हेटेकरी, मलाजखण्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक 2066/एफ 7-13/32/2008.—अधिसूचना क्रमांक 742/एफ 7-13/32/2008 दिनांक 10-4-2008 में संशोधन करते हुये छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा तमनार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "तमनार विशेष क्षेत्र" के नाम से जाना जायेगा

और उसकी संशोधित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी :—

अनुसूची

तमनार विशेष क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दक्षिण रेगांव, तमनार, बुड़िया, झिकाबहाल, टिहलीरामपुर एवं लिबरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम लिबरा, बागवाडी एवं महलोई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम महलोई, देवगांव, सिलिहारी, कांटाझरिया एवं राटरोट की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम राटरोट, कांटाझरिया, कसडोल, गोडी, बासनपाली, सलिहाभाठा एवं दक्षिण रेगांव की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 1-21/2005/13/1/4049.—राज्य शासन एतद्द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार अधिसूचना जारी करता है :—

1. औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थागत क्षेत्रों में 30 KW या अधिक सम्बद्ध भार वाले अथवा रु. 50,000/- प्रतिमाह विद्युत देयक वाले सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिये काम्पैक्ट फ्लोरोसैंट लैम्प (C.F.L.) तथा/अथवा T-5 (28 W) ऊर्जा कुशल ट्यूबलाईटों तथा अथवा इलेक्ट्रानिक चोक व रेग्यूलेटर तथा/अथवा ऊर्जा दक्ष पंखों का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

2. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों तथा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संस्थाओं/प्रतिष्ठानों में काम्पेक्ट फ्लोरोसैंट लैम्प (C.F.L.) तथा/अथवा T-5 (28 W) ऊर्जा कुशल ट्यूबलाईटों तथा/अथवा इलेक्ट्रानिक चोक व रेग्यूलेटर तथा/अथवा ऊर्जा दक्ष पंखों का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

उपरोक्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर, 2009 तक उनकी अपनी लागत पर अपने संस्थानों में लगे हुए सभी परम्परागत बल्बों तथा ट्यूबलाईटों को (C.F.L.) तथा T-5 (28 W) ट्यूबलाईट्स से तथा मैग्नेटिक चोक/रेग्यूलेटर्स को इलेक्ट्रानिक चोक/रेग्यूलेटर्स से तथा ऊर्जा अकुशल पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना होगा तथा बदले गये उपकरणों की जानकारी क्रेडा को फैक्स क्र. 0771-4268389 पर प्रेषित करना होगा.

यह अनिवार्य होगा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचित सभी वर्तमान तथा नई कालोनियां तथा शहरी क्षेत्रों, छ. ग. शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. की औद्योगिक सम्पदाओं, आवासीय काम्पलेक्सों, निजी/अर्द्धसरकारी/स्वशासी संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों तथा टाउनशिपों की स्ट्रीट लाईटों में (C.F.L.) अथवा T-5 ट्यूबलाईट्स की ल्यूमिनरी/एल. पी. एस. व्ही./इंडक्शन आर्क लैम्पस वाले ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाईटों का उपयोग होगा.

स्ट्रीट लाईटिंग प्रणाली के लिए उत्तरदायी उपरोक्त कथित संगठनों को 31 दिसम्बर, 2009 तक उनकी अपनी लागत पर परम्परागत स्ट्रीट लाईटों को बदलना होगा तथा ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाईटों को स्थापित करना होगा.

टीप :- इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को उपरोक्त वर्णित अंतिम तिथि के समाप्त होने के उपरांत उचित नोटिस देने के बाद बिजली के कनेक्शन काटने का अधिकार होगा. छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के कार्यपालन अभियंता (प्रचालन) इन आदेशों को लागू करने के प्राधिकारी होंगे तथा वे इस बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर (छ. ग.) (ऊर्जा संरक्षण नियम, 2001 के अधीन राज्य अभिहित एजेन्सी) को प्रस्तुत करेंगे.

4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक 4134/382/2009/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001" के प्रावधानानुसार निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति, उनके अधिकार व कार्यप्रणाली के निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियमावली का निर्धारण करता है :—

1. "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001" की कंडिका 17 (1) के अनुसार नामित एजेन्सी (क्रेडा) ऐसे निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के पालन हेतु अधिनियम अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं के संस्थानों का निरीक्षण कर ऊर्जा उपभोग मापदण्डों, उपकरणों/मशीनों पर विवरण सहित लेबल लगाने आदि की कार्यवाही के पालन को सुनिश्चित करवायेंगे.

2. "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001" की कंडिका 17 (2) अनुसार नामित एजेंसी (क्रेडा) के ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार कार्य किये जाने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार प्राप्त होंगे :—

   (a) उपकरणों/संयंत्रों का निरीक्षण एवं प्रक्रिया का निरीक्षण (अधिनियमांतर्गत नामित उपभोक्ता व अन्य के संस्थान में) करने का अधिकार.

   (b) नामित उपभोक्ता के संस्थान में किसी भी स्थान पर जहां ऊर्जा का उपभोग हो रहा हो, प्रवेश करने तथा उसके मालिक, संचालक, कर्मचारी, प्रबंधक का इस कार्य में सहयोग लेने का अधिकार, ताकि वह :—

      (i) किसी भी उपकरण, मशीन, संयंत्र का निरीक्षण कर सके.

      (ii) ऊर्जा उपभोग के नियम व मापदण्डों को सुनिश्चित करने हेतु किसी भी उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण कर सके.

      (iii) उपकरणों/संयंत्रों की जांच व सत्यापन कर स्कन्ध की इन्वेन्टरी बना सकें.

      (iv) अधिनियम के अनुपालन हेतु किसी भी व्यक्ति का बयान ले सके.

   इसके अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के नियंत्रणकर्ता व अन्य प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे.

3. "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001" की कंडिका 17 (3) एवं 17 (4) के अनुसार निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधिकारियों को नामित एजेन्सी छ. ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार, किसी भी समय, अधिनियमांतर्गत् नामित उपभोक्ता अथवा अन्य के संस्थान, जहां ऊर्जा के उपयोग से कार्य हो रहा हो तथा जहां ऊर्जा उपयोग के उपकरण/संयंत्र रखे हों, में निरीक्षण हेतु प्रवेश करने का अधिकार होगा, उसे संस्थान के मालिक, संचालक, कर्मचारी, प्रबंधक अथवा अन्य के द्वारा प्रवेश से न ही रोका जा सकेगा, न ही उसे बाहर निकाला जा सकेगा.

4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 22nd August 2009

No. 4132/382/2009/13/1.—As per the provisions of Energy Conservation Act, 2001, Govt. of Chhattisgarh hereby make rules for appointment of inspecting officers, their power and functions :—

1. As per the Section 17 (1) of "Energy Conservation Act, 2001", designated agency Chhattisgarh State Renewable Energy Agency (CREDA), will appoint as many inspecting officers as may be necessary for the purpose of ensuring compliance with energy consumption standard specified under clause (a) of section 14 or ensure display of particulars on label on equipment or appliances specified under clause (b) of section 14 or for the purpose of performing such other functions as may be assigned to them.

2. As per the Section 17 (2) of "Energy Conservation Act, 2001", under the guidance of Energy conservation cell of Chhattisgarh State Renewable Energy Agency (CREDA) an inspecting officer shall have powers to —

   (a) inspect any equipment/appliance and operation carried on or in connection with the equipment or appliance (in the unit of designated consumers and others under the Act.).

   (b) enter any place of designated consumer at which the energy is used for any activity and may require any proprietor, employee, director, manager or secretary or any other person who may be attending in any manner to or helping in, carrying on any activity with the help of energy—

      (i) to afford him necessary facility to inspect any equipment or appliance as he may require and which may be available at such place;

      (ii) any production process to ascertain the energy consumption norms and standards;

      (iii) to make an inventory of stock of any equipment or appliance checked or verified by him;

      (iv) to record the statement of any person which may be useful for, or relevant to, for efficient use of energy and its conservation under this Act.

   Apart from this the controlling officer and other class one and two officers in Energy Conservation cell of CREDA, shall also have all powers of inspecting officers.

3. As per the Section 17 (3) and 17 (4) of "Energy Conservation Act 2001", an inspecting officer may enter any place of designated consumer where any activity with the help of energy is carried on; and where any equipment or appliance notified under the Act, has been kept, during the hours at which such places is open for production or conduct of business connected there with. An inspecting officer acting under this section shall on no account, remove or cause to be removed from the place wherein he has entered, any equipment or appliance or books of accounts or other documents.

4. This notification shall come into force from the date of issue.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र./21 अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	संबलपुर	5.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)	सेमरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सूरजपुर एवं कोरिया, मुख्यालय-अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक 2/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोनचरा	1.965	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक 19/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	केन्दाडाड	6.364	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्रमांक 01 अ/82/वर्ष 2008-09/6549.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	भानपुरी	0.31	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी, संभाग-धमतरी.	भानपुरी-आमदी मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक/1457/अ-82/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	भिलाई प. ह. नं. 7	0.14	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मासाभाट जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मु. दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 19 अगस्त 2009

क्रमांक/1298/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	अगार प. ह. नं. 3	1.99	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, दुर्ग.	ग्राम पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/1348/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	महमरा प. ह. नं. 5	1.08	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	महमरा उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्रमांक/1351/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बोरई प. ह. नं. 3	2.74	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बोरई व्यपवर्तन नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/1388/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डी	खुर्सीटिकुर प. ह. नं. 34	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक अ.भू-अ.प्र.क्र./1391/अ-82/वर्ष 2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	कुरूभाट प. ह. नं. 32	1.71	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	कुरूभाट जलाशय/नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय [illegible]जस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक अ.भू-अ.प्र.क्र./1394/अ-82/वर्ष 2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	टेकापार प. ह. नं. 32	0.15	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	कुर्रूभाट जलाशय निर्माण / नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक अ.भू-अ.प्र.क्र./1397/अ-82/वर्ष 2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	साल्हे प. ह. नं. 07	0.35	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 23/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलिहा (बघमल्ला, छपेरी) प. ह. नं. 09	424/1	0.212	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (स. भ.) बलौदाबाजार.	सलिहा, बिलारी, सोनपुर मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
			425/5	0.097		
			424/7	0.065		
			424/14, 424/15, 414/17	0.357		
			424/16	0.032		
			424/11, 424/12	0.249		
			425/1	0.281		
			432/1	0.205		
			432/2	0.117		
			422/1 ख	0.137		
			430	0.016		
			422/2, 422/1 ग	0.021		
			433/1	0.081		
			434/1, 435/5	0.237		
			434/4	0.105		
			421/9	0.141		
			421/10	0.242		
			420/1	0.416		
			421/12, 421/13	0.185		
		योग	19	3.196		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक 5144/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.78 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	651	0.43
	652	0.41
	654	1.02
	658	0.58
	660	0.77
	668	0.15
	720	0.10
	723	0.28
	724	0.04
योग	9	3.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघत जलाशय हेतु बांध निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक 5145/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-दुग्गी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206	0.05
207	0.02
212	0.04
213	0.02
239/1	0.02
240/1	0.04
241	0.03
600/2	0.01
242	0.06
243	0.03
247	0.03
248	0.01
285/1	0.05
600/3	0.01
285/2	0.03
285/3	0.02
583	0.01
593	0.06
627	0.10
612	0.08
594	0.07
596/1	0.05
604	0.01
607/4	0.02
573	0.07
603	0.03

	(1)	(2)
	607/1	0.06
	607/5	0.03
	614	0.04
	623	0.12
	621	0.03
योग	31	1.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघत जलाशय हेतु बांध निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/48/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-घुंचापाली, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	302/2	0.13
	318	0.05
योग	2	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/49/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़ेना, प. ह. नं. 144/91
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
671	0.09
666	0.19
670	0.23
660	0.03
665	0.15
552	0.09

	(1)	(2)
	558	0.05
योग	7	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा निसदा) व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/1398/14 अ/82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-तहसील डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-भर्रीटोला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	294	0.07
	295/2	0.03
	304	0.20
	307	0.08
	318	0.10
	317	0.08
	320	0.20
	321	0.13
	516/1	0.24
	537	0.14
	563/2	0.09
	563/4	0.03
	564/2	0.12
	581	0.01
	583	0.02
	584	0.18
	591	0.37
	598	0.03
	601	0.06
	236/1	0.04
	295/1	0.27
	303	0.01
	306	0.09
	308	0.07
	315	0.01
	319	0.01
	600	0.04
	602	0.04
	516/2	0.17
	563/1	0.15
	563/3	0.14
	564/1	0.10
	589	0.03
	582	0.42
	585	0.06
	588	0.16
	592	0.06
	599	0.19
	567	0.14
	515/2	0.02
योग	40	4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्र. क्र. 7 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गंदहाभाठा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	544	0.122
	260/4	0.016
	260/5	0.020
	260/6	0.024
	260/8	0.008
योग	5	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्र. क्र. 8 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2356/1	0.065
	2357/1	0.097
योग	2	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 14 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 25 अगस्त 2009

क्रमांक 1800/जि.प.अ./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 उपधारा (1) (ख) के तहत जारी आदेश क्रमांक/200/ परि./2008/दिनांक 31-05-2008 में निर्धारित मार्ग क्रमांक 06 में भारी मालवाहनों के संचालन हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में कुचेना के पास

स्थित एन.टी.पी.सी. रेल्वे लाईन अंडर ब्रिज मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में जोड़ा जाता है. अनुमति आयुक्त नगर निगम को इस शर्त पर दी जाती है कि ब्रिज के नीचे दोनों ओर के मार्गों को सीधा, चौड़ीकरण कर भारी मालवाहनों के संचालन योग्य मार्ग का निर्माण किया जावे.

उक्त अनुमति दिनांक 25-09-2009 से प्रभावशील होगी.

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th August 2009

No. 6249/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of the section 11 of the Code of Criminal Procedure, the High Court of Chhattisgarh is pleased to appoint the following Chief Judicial Magistrates/Judicial Magistrates First Class shown in Column No. (2) of the District mentioned in Column (3) of the Schedule given below as Magistrate of the Juvenile Justice Board constituted in their respective District by the State Government in exercise of its powers under sub-sections (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006 (Act No. 56 of 2000) comprising the Revenue Districts mentioned in column (4) of the Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Officer	Name of the District Headquarters	Revenue District Comprised in the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Smt. Swarnlata Toppo, Judicial Magistrate First Class, Jagdalpur.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar
2.	Smt. Mamta Patel, Judicial Magistrate First Class, Bilaspur.	Bilaspur	Bilaspur
3.	Smt. Yogita Vinay Wasnik, Judicial Magistrate First Class, Dantewara.	Dantewara	Dantewara
4.	Smt. Himanshu Jain, Judicial Magistrate First Class, Dhamtari.	Dhamtari	Dhamtari
5.	Ku. Ranju Rautrai, Judicial Magistrate First Class, Durg.	Durg	Durg
6.	Shri Anand Ram Didhi, Chief Judicial Magistrate Jashpur.	Jashpur	Jashpur
7.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Chief Judicial Magistrate, Kawardha.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha
8.	Ku. Saroj Nand Das, Judicial Magistrate First Class, Korba.	Korba	Korba & Janjgir-Champa.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Smt. Prisilla Paul Horo, Judicial Magistrate First Class, Baikunthpur.	Koriya (Baikunthpur)	Koriya
10.	Ku. Mohini Kanwar, Judicial Magistrate First Class, Raigarh.	Raigarh	Raigarh
11.	Smt. Kiran Rathi, Judicial Magistrate First Class, Raipur.	Raipur	Raipur & Mahasamund
12.	Smt. Usha Gendle, Judicial Magistrate First Class, Rajnandgaon.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
13.	Ms. Pallavi Parashar, Judicial Magistrate First Class, Ambikapur.	Surguja (Ambikapur)	Surguja
14.	Smt. Neeta Yadav, Chief Judicial Magistrate, Kanker.	Uttar Bastar Kanker	Kanker

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

BERORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SUNIL KUMAR SINHA ELECTION PETITION NO. 02/2009

(Banwari Lal Agrawal Vs Jai Singh Agrawal)

No. 13476/D. A./E. P. 02/2009 Bilaspur, the 28th August 2009

Banwari Lal Agrawal
S/o-Late Shridhar Agrawal
Age 61 Years, Ward No. 3
R/o-Durupa Road,
P. O. Korba, District-Korba (C. G.) **Petitioner**

Versus

Jai Singh Agrawal
S/o-Shri Ramkumar Agrawal
Aged about 49 Years
R/o-Shanti Niwas, Agrasen Marg, Ward No. 3,
Dewangan Para, Post Office-Korba (C. G.) **Respondent**

To,

Jai Singh Agrawal
S/o-Shri Ramkumar Agrawal
Aged about 49 Years
R/o-Shanti Niwas, Agrasen Marg, Ward No. 3,
Dewangan Para, Post Office-Korba (C. G.)

Subject :- Notice of withdrawal of Election Petition.

Please take Notice that one Shri Banwari Lal Agrawal has filed an Election Petition u/s 80, 80-A & 81 of

Representation of People Act, 1951 for declaring the Election of Respondent as void.

On 10-08-2009, Hon'ble Court has allowed the I. A. No. 8 for withdrawal of Election Petition and petitioner is permitted to withdrawn the Election Petition.

The Election Petition 2/2009 is dismissed as withdrawn.

Given under my hand and Seal of this High Court on this Seventeenth Day of August Two Thousand Nine.

By order of the High Court,
N. D. TIGALA, Additional Registrar (J).